HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16237/2025

Dinesh Kumar S/o Kanaram, R/o Village Nandiya Tehsil Bagoda Police Station Bagoda District Jalore Raj.
(At Present In Central Jail, Jaipur).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Javed Mohd Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. G.A. Cum P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना विद्याधर नगर जिला जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 532/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 120–बी भारतीय दंड संहिता तथा 3, 7, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की परीक्षा दिनांक 13.05.2021 को होने के पश्चात उक्त परीक्षा की शारीरिक मापतौल दक्षता परीक्षा दिनांक 02.11.2022 को आयोजित की गई, जिसमें आरोपी दिनेश कुमार का बायोमैट्रिक सत्यापन सही नहीं पाया गया, जिस पर फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, आउटसोर्स फर्म व मानवीय रूप से मिलान करने पर फोटो व अंगुल चिन्ह नहीं मिले तथा प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश कुमार की लिखावट के संबंध में भी लिखावट का मिलान होना नहीं बताया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, वह दिनांक 24.11.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किए हैंः—

1. Ishwar Singh Versus State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13407/2025; order dated 27.01.2026.

2. Dholaram Versus State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 16824/2025; order dated 16.01.2026.

3. Ramuram Versus State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 12330/2025; order dated 18.11.2025.

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बैठाकर परीक्षा पास करी, जिससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी हुई और सरकार और परीक्षा एजेंसियों को नुकसान हुआ, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2021 की शारीरिक मापतौल दक्षता परीक्षा दिनांक 02.11.2022 को आयोजित की गई, जिसमें आरोपी दिनेश कुमार का बायोमैट्रिक सत्यापन सही नहीं पाया गया, जिस पर फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो,

आउटसोर्स फर्म व मानवीय रूप से मिलान करने पर फोटो व अंगुल चिन्ह नहीं मिलने से मामला संदिग्ध पाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विवादित रिकॉर्ड व विवादरहित रिकॉर्ड और नमूना हस्ताक्षर का एफएसएल से परीक्षण करवाए जाने पर परीक्षण रिपोर्ट व पत्रावली में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किए जाने से यह स्थिति स्पष्ट हुई कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने आवेदन रोल नंबर पर अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को बैठाकर परीक्षा दिलवाई। अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 419, 420, 120–बी भारतीय दंड संहिता तथा 3, 7, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा THE STATE OF RAJASTHAN vs INDRAJ SINGH ETC. 2025 INSC 341 में निम्न मत अभिव्यक्त किया गया हैः–

> *10. In India, the reality is that there are far more takers of Government jobs than there are jobs available. Be that as it may, each job which has a clearly delineated entry process- with prescribed examination and/or interview process, has only to be filled in accordance thereof. Absolute scrupulousness in the process being followed instills and further rejuvenates the faith of the public in the fact that those who are truly deserving of the positions, are the ones who have deservedly been installed to such positions. Each act, such as the one allegedly committed by the respondents represent possible chinks in the faith of the people in the public administration and the executive.*
>
> *11. Since surely there must have been thousands of people who appeared for the exam, and the respondent-accused persons, for their own benefit, tried to compromise the sanctity of the exam, possibly affecting so many of those who would have put in earnest*

effort to appear in the exam in the hopes of securing a job, we concur with the view of the Trial Court that they are not entitled to the benefit of bail. At the same time, it is also true that every person has a presumption of innocence working in their favour till and such time the offence they are charged with, stands proved beyond reasonable doubt. Let them stand trial, and let it be established by the process of law, that the respondent- accused have indeed not committed any crime in law.

प्रार्थी/अभियुक्त पर स्वयं की जगह अन्य व्यक्ति को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाए जाने के गंभीर प्रकृति का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के आरोपित कृत्य से भर्ती एजेंसियों और सरकार की विश्वसनीयता को और ईमानदार व योग्य अभ्यर्थियों को भी नुकसान हुआ है। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान होने शेष है।।

अतः उक्त विनिश्चय तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार पुत्र कानाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /25